

.....का पक्ष हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

7/2
23

पंजावली पेशा दुर्ब, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिले शा० पं० किये गये। विपक्षीगण को कितनी गते का आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश किये जाते हैं वकील प्रार्थी का प्रमाण स्वीकार किया जाकर निर्णय पुस्तक से लिखा जाकर शा० पं० किया गया। पंजावली फिल्टर शुगर होकर नम्बर से कम है।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 234/22 प्रा0फा

श्री (लाडु)जी0 श्री-कब्जा भील गिवासी- गीलीगंजा तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री 510 कासु भात्री गिवासी- धुलगाँवा तहसील-भीलवाड़ा (राज0)
(सहायक गिवासी रा.रा.रा.)

--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :- 07.02.23

::आदेश::

प्रार्थना पत्र से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन
ग्राम.....श्रीगंजा.....पटवार हल्का.....श्रीगंजा.....तहसील माण्डल में उसके
खाते की आराजी नं. 2530 कुल किता 01 रकबा 1.0749
हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के गध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये
संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की
के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09-11-22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी कराने का
। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते
की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम श्रीगंजा पटवार
.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2530
01 रकबा 1.0749 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी
हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू-अभिलेख
श्रीगंजा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने
की मौजूदगी में मोके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार
गद्दी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगद्दी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा